न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)
पीठासीन अधिकारीः पर्वसिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः 30/2017
उनवान मुकदमा

1 . श्री गुलाबजी पिता श्री रूपजी जाति भील उम्र 50 वर्ष निवासी जानामेडी तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)
2. श्री मोतीलाल पिता श्री रूपजी जाति भील उम्र 48 वर्ष निवासी जानामेडी तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)

वादीगण

बनाम

1. श्री तोला पिता श्री धुलजी जाती भील उम्र वयस्क निवासी जानामेडी तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)
2. श्री कचरा पिता श्री धुलजी जाती भील उम्र वयस्क निवासी जानामेडी तहसील व जिला बांसवाड़ा
3. श्री पुंजा पिता श्री धुलजी जाति भील उम्र वयस्क निवासी जानामेडी तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)
4. श्री राजेंग पिता श्री धुलजी जाति भील उम्र वयस्क निवासी जानामेडी तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)
5. श्री भूमिधारी जरीये तहसीलदार साहब ,तहसील बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)
6. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक महोदय कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड शाखा उदयपुर (राज.)

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88,188,209 आर.टी.एक्ट</u>
<u>निर्णय</u>

दिनांक :– 18.02.2020

वादीगण ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम` तहत् प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश किया । वादीगण स्व. रूपजी पिता धुलिया के पुत्र होकर विधिक उत्तराधिकारी एवं वारिसान है जिसकी वंशावली अनुसार मुल पुरूष रूपजी पिता धुलिया जिसके दो पुत्र गुलाबजी व मोतीलाल है । स्व. रूपजी पिता धुलिया जाति भील निवासी जानामेडी तहसील व जिला बांसवाडा के स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी का खेत सर्वे नम्बर 13/1 पनवा रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा लगान 1 रूपया वाके ग्राम जानामेडी पटवार हल्का लोधा तहसील व जिला बांसवाडा (राज.) में स्थित है । जिसमें वादीगण के पूर्वज श्री रूपजी पिता श्री धुलिया काबिज काश्त होकर काश्त करते थे और राजस्व अभिलेख में श्री रूपजी पिता श्री धुलिया का नाम बहैसियत खातेदारी में दर्ज रहा है । उपरोक्त कृषि भुमि में

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

श्री रूपजी की मृत्यु के बाद वादीगण नियमित व निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे है । वर्तमान में वादीगण ने सोयाबीन की फसल की बुआई की है तथा वादीगण का टापरा बना हुआ है जहां पर वादीगण स्थाई रूप से निवास कर रहे हैं । उपरोक्त कृषि भुमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का कभी आधिपत्य नही रहा है और न ही कभी काश्त की है । साथ ही निवेदन किया है की आराजी नंबर 13/1 के खाते में संवत् 1919से संवत 2022 तक हमारा नाम खातेदारी के रूप में दर्ज रहा है वादीगण के पूर्वज स्वर्गीय रूपजी पिता श्री धुलिया का नाम उपरोक्त कृषि भूमि के खातें में संवत् 2023 से 2026 के राजस्व अभिलेख में बिना किसी आदेश निर्णय एवं डिक्री के वादीगण के पूर्वज रूपजी पिता धुलिया के नाम के आगे क्रॉस कर श्री धुलिया पिता खेमा अवैध रूप से राजस्व कर्मचारीयों से मिलकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के पिता धुलजी पिता खेमा ने धुलिया पिता खेमा नाम दर्ज करवा दिया ,जबकि धुलिया पिता खेमा वादीगण के परिवार या वंशज में नहीं आता हैं । जबकि उक्त खसरा गिरदावरी संवत 2023–2026 में रूपजी पिता धुलिया की कब्जा काश्त दर्ज है परन्तु धुलिया पिता श्री खेमा का नाम अवैध रूप से दर्ज हो जाने से उसकी मृत्यु के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 282 दिनांक 21.03. 1990 के द्वारा प्रतिवादीगण सख्या 1 से 4 के नाम व श्रीमती जमुना का नाम व जमना की मृत्यू के पश्चात 467 दिनांक 09.10.2001 के द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के नाम अवैध इन्द्राज राजस्व अभिलेख में उपरोक्त धुलिया पिता खेमा एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के नाम की गई । प्रविष्टिया वादीगण के हित व अधिकारों के विपरीत होने से प्रभाव शुन्य होकर काबिल निरस्तनीय है तथा उपरोक्त कृषि भुमि के वादीगण एकमात्र खातेदारी घोषणा के अधिकारी होने से यह दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश हैं । उक्त वाद खातेदारी घोषणा का होने से श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब को पक्षकार बनाये गये है तथा प्रतिवादीगण संख्या 6 का नाम राजस्व अभिलेख में इन्द्राज होने के पक्षकार बनाया गया है उक्त भूमिधारी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा नही चाही गई है । प्रतिवादी संख्या 6 ने बिना जांच किये एवं बिना किसी आधार के प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को वित्तिय ऋण जारी कर अपने नाम इन्द्राज करवाया है, जो विधिविरूद्व होकर काबिल निरस्तनिय है । प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 द्वारा व्यवधान पैदा करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादीर फरमावे एवं उपरोक्त कृत्य किसी अन्य व्यक्ति से नही करावे इस हेतु भी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा फरमावे । साथ ही वादी ने वाद में निवेदन किया कि चौमासे की फसल की बुवाई हेतु माह जुन 2017 को खेत तैयार कर रहे थे तभी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 मौके पर आकर वादीगण को धमकाने लगे की यह खेत नही करने देगें और वादीगण के साथ गाली–गलौच करने लगे

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

और कब्जे काश्त में रूकावट पैदा करने लगे जिस पर वादीगण ने पटवारी से सम्पर्क कर पता किया तो पता चला की भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई है क्योंकि वादीगण को उक्त अवैध इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 बेदखल कर देना चाहते है तथा वादीगण की शान्तीपूर्ण कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा कर रहे है । प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्थाई निषेधाज्ञा से हमारी कब्जा काश्त में दखल से रोका जावे ।

न्यायालय में वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगणो को रजिस्टर्ड पत्र से सम्मन भिजवाये गये जो बाद तामिल लोटे न्यायालय में उपस्थित होने प्रतिवादी अभिभाषक व प्रतिवादीगणो को आवाजे लगाई गई कोई उपस्थित नही हुआ पूर्व में भी कई बार प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नही आए है । वाद पत्र के साथ फर्द दस्तावेज पेश हुवे जिसमें खसरा गरदावरी संवत 2011–2014, 2015–2018, 2019'2022, 2023–2026, 2027–2030 नकल के साथ संवत 2027–2030 , 2031–2034 2038–2041 , 2043–2046, 2041–2050, 2051–2054, 2070–2073, नकल नामान्तरण संख्या 467 नकल नामान्तरण संख्या 282, नकल मृत्यु प्रमाण पत्र ,1 गुलाब पिता रूपजी , 2–धूलिया पिता रूपा, साथ ही मोतीलाल का आधारकार्ड ,वोटर आईडी ,राशनकार्ड ,व गुलाबजी का आधारकार्ड व अन्य दस्तावेज वाद के साथ संलग्न प्रस्तुत किये गये है । प्रतिवादी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही हुआ न ही कोई उपस्थित हुआ है । वादी अभिभाषक की बहस एक तरफा सुनी गई जिसमें वादी अभिभाषक ने अपने कथन में कहां कि वाद पत्र ही मेरी बहस है । शूरू में खाता हमारा था बिच में बिना किसी आधार के हमारा नाम हट गया व प्रतिवादीयो का नाम चढ गया।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा प्रतिवादीयों को जरिये सम्मन तलब किया गया ,प्रतिवादी बावजूद तामिल के उपस्थित नहीं आए जिससे एक तरफा शहादत और बहस रखी गई मैने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व बहस में प्रस्तुत दलीलो पर मननन किया व अवलोकन किया ।

वादी ने जो दस्तावेज खसरा गिरदावरी के प्रस्तुत किए है,उनमें खातेदार अभिधारी के रूप में श्रीमती मॉझी साहेब दर्ज होकर उप कृषक के रूप में रूपजी पिता धुलिया संवत 2011 से दर्ज है । संवत 2023 में खसरा गिरदावरी में मॉझी साहेब की जगह श्री सरकार भूमि बिरादरी के रूप में दर्ज होकर धुलिया पिता खेमा के नाम से उप कृषक के रूप में प्रविष्ठि है लेकिन वादी ने कोई भी जमाबंदी की प्रति तत्समय कि प्रस्तुत नही की है, जिससे यह प्रमाणित हो की जमाबंदी में खातेदार के रूप में वादी नाम की उक्त अराजी में प्रविष्ठि हो । वादी ने संवत 2027 से 2030 की जमाबंदी की नकल प्रस्तुत की है उसमें खातेदार का नाम धुलिया पिता खेमा भील साकिन देह

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

तथा तत्पश्चात जो भी जमाबंदी की नकल है जो वादी ने वाद के साथ लगाई है, उनमें धुलिया पिता खेमा ही दर्ज है वादी खाते की नकल अर्थात जमाबन्दी की नकल से यह प्रमाणित करने में असफल रहा है , कि जमांबंदी में वादग्रस्त भूमि वादी के अथवा उसके पिता के नाम कभी भी दर्ज रही हो । वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है जिसे यह प्रमाणित हो की उक्त भूमि जमाबंदी में कभी भी उनके नाम अथवा उसके पिता के नाम दर्ज रही हो, वादी ने केवल खसरा गिरदावरी की नकल प्रस्तुत की है । जमाबंदी को वादी जो संलग्न वाद प्रस्तुत किया है उसमें धुलिया पिता खेमा ही खातेदार के रूप में दर्ज है, अतः स्पष्ट है कि वादी दस्तावेजी साक्ष्य मे उप कृषक के रूप में प्रविष्ठ है, लेकिन वादी ने कोई भी जमाबंदी की प्रति तत्समय कि प्रस्तुत नही की है जिससे यह प्रमाणित हो की जमाबंदी में खातेदार के रूप में वादी के नाम की उक्त आराजी में प्रविष्ठि हो । वादी ने 2027 से 2030 की जमाबंदी की नकल प्रस्तुत की है, उसमें खातेदार का नाम धुलिया पिता खेमा कौम भील साकिन देह दर्ज है तथा तत्पश्चात जो भी जमाबंदी की नकल है, जो वादी ने वादके साथ लगाई है उनमें धुलिया पिता खेमा भील का नाम दर्ज है । वादी खाते की नकल से यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि जमाबंदी में वादग्रस्त भूमि वादी के अथवा उसके पिता के नाम कभी भी दर्ज रही हो वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो की उक्त भूमि जमाबंदी में कभी भी उनके नाम अथवा उनके पिता के नाम दर्ज रही हो , वादी ने केवल खसरा गिरदावरी की नकल ही प्रस्तुत की है खसरा गिरदावरी में तो वादी के पिता का नाम केवल उप कृषक के रूप में दर्ज रिकार्ड है ना ही खातेदार के रूप में । जो रेकार्ड जमाबंदी का वादी ने संलग्न वाद प्रस्तूत किया उसमें धुलिया पिता खेमा ही खातेदार के रूप में दर्ज है, अतः स्पष्ट है की वादी दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित करने में विफल रहा है कि भूमि कभी भी राजस्व रेकार्ड में जमाबंदी में उसके पूर्वजो के नाम दर्ज रही हो, तथा वाद में दिये तथ्य प्रमाणित नही पाए जाते है ।

आदेश

पत्रावली पर उपलब्ध वाद पत्र ,साक्ष्य , दस्तावेजो व बहस में प्रस्तुत अभिकथनों के आधार पर यह आदेश दिया जाता है कि वादी ने वादग्रस्त भूमि की केवल खसरा गिरदावरी कि नकल प्रस्तुत की है उक्त खसरा गिरदावरी में वादी के पिता का नाम केवल कृषक के रूप में दर्ज रेकार्ड है , वादी के पूर्वजो का नाम जमाबन्दी में खातेदार के रूप में कभी भी प्रविष्ठ नही रहा । वादी दस्तावेज जमाबंदी से उसके पूर्वजों के नाम वादग्रस्त भूमि दर्ज रही हो यह प्रमाणित करने में न्यायालय में असफल रहा है । अतः वादी को वाद पत्र

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

में चाही गई दाद दिया जा पाना संभव नहीं है । वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नंबर से कम की जावे। निर्णय दिनांक 18.02.20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पर्वत सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
बासवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बासवाड़ा (राज.)

C:\Users\SDM PC\Desktop\SDO Court.docx

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2020.03.02 12:17:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: